



अनुसूचित जाति में शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ० अनिल कुमार श्रीवास्तव

एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, इंदिरा प्रियदर्शिनी राजकीय महिला वाणिज्य महाविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखंड, भारत।

प्रस्तावना

शिक्षा मानव विकास के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया मानी गयी जो मनुष्य के बौद्धिक क्षमता, तर्कशक्ति, व्यक्तित्व, कार्यक्षमता तथा आत्मविश्वास को बढ़ाती है तथा समस्याओं को समाधान करने एवं विषम परिस्थितियों में सामंजस्य करने की क्षमता को विकसित करती है। इतिहास के अवलोकन करने से हमें ज्ञात होता है कि जिन समाजों में उचित प्रकार की शिक्षा पर बल दिया गया है, उन्होंने तीव्र प्रगति की है। वर्तमान में तो शिक्षा का महत्व और भी अधिक बढ़ चुका है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही लोग उच्च डिग्रियाँ प्राप्त कर बड़े-बड़े पदों पर पहुँचते हैं जहाँ उन्हें उच्च वेतन, सम्मान तथा जीवन की प्रत्येक सुविधाएँ सहज ढंग से सुलभ हो जाती हैं। वर्तमान युग ज्ञान का युग कहा जाता है जिसमें उसी व्यक्ति का विकास सम्भव है जो ज्ञान तथा कौशल को अर्जित कर सका है। वर्तमान वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के समय तो शिक्षा की महत्ता को सभी लोग स्वीकार कर चुके हैं। इस प्रकार शिक्षा देश की आर्थिक तथा तकनीकी प्रगति हेतु महत्वपूर्ण कारक के रूप में स्वीकार की जाती है। शिक्षा सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा अशोषण के लिए भी आवश्यक समझी गई। किसी भी पिछड़े समुदाय के उत्थान के लिए तो शिक्षा एक अत्यन्त शक्तिशाली हथियार के रूप में मानी जाती है जो तीव्रता के साथ ही साथ पिछड़े समुदायों का भी विकास करती है। अनेक समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, शिक्षाशास्त्रियों इत्यादि ने समाज के आधुनिकीकरण में शिक्षा को एक आवश्यक अस्त्र माना है। दूसरी ओर अनेक प्रख्यात अर्थशास्त्रियों ने भी शिक्षा को मानव विकास के महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वीकार किया है। वर्तमान में समाज के निरन्तर विकास तथा औद्योगीकरण के लिए उच्चस्तरीय तकनीकी तथा वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित मानव संस्रोतों की आवश्यकता पड़ रही है जिसमें शिक्षा की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है। अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा का महत्व तो और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उन्हें अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक विकास के लिए शिक्षा सबसे कारगर साधन माना गया है। भारत सरकार ने इसीलिए अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों में शैक्षणिक विकास के लिए अनेक सार्थक कदम उठाये जिनमें विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश में आरक्षण, छात्रवृत्ति, छात्रावासों की सुविधा, किताब, कापी तथा वस्त्र के लिए भत्ता इत्यादि सम्मिलित हैं। परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों के युवकों ने बड़ी संख्या में शिक्षा ग्रहण करना प्रारम्भ किया जहाँ अनुसूचित जातियों के बीच सन् 1961 में शिक्षा की दर मात्र 10.27 प्रतिशत ही थी वह दर बढ़कर अब 2001 में 48.36 प्रतिशत हो गई (सामान्य जनसंख्या के लिए यह दर 2001 में 65.38 प्रतिशत आंकी गई)। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विभिन्न सरकारी प्रयासों तथा शिक्षा ग्रहण के प्रति जागरूकता के कारण अनुसूचित जातियों में शिक्षा की दर बढ़ी है। परन्तु अनेक ऐसी भी सूचनाएँ आयी हैं कि अनुसूचित जातियों के

सदस्यों को दी जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ वे पूर्णतः नहीं उठा पा रहे हैं अथवा अनुसूचित जातियों के बीच ही कुछ प्रगतिशील जातियाँ अधिकतम सुविधाओं का लाभ उठा ले रही हैं तथा अत्यधिक पिछड़े एवं गरीबों को इसका कोई खास लाभ नहीं मिल पा रहा है। यादव और चिटनिस ने अपने अध्ययनों में पाया है कि अनुसूचित जातियों की अनेक लड़कियाँ भी इस लाभ से वंचित रह जाती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अनुसूचित जातियों में जो जातियाँ नगरों के समीप रहती हैं उन्होंने इसका अधिकतम लाभ उठाया है।¹ अहमद तथा प्रेमी ने भी इसी बात की पुष्टि की है कि कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि अनुसूचित जातियों के छात्र उनको मिल रही सरकारी सुविधाओं से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि ये सुविधाएँ तथा छात्रवृत्तियाँ या तो देर से मिलती हैं या भ्रष्टाचार के कारण केवल कागज तक ही सीमित रह जाती हैं² परन्तु अधिकांश छात्रों द्वारा इन सुविधाओं को हितकारी तथा उनके शैक्षणिक विकास के प्रगति के रूप में आवश्यक तथा अपेक्षित बताया गया।³ कुछ विद्वानों ने यह भी बताया है कि सरकारी सुविधाओं का लाभ केवल वे ही सदस्य उठाते हैं जो पहले से सामाजिक-आर्थिक रूप से बेहतर होते हैं आदि।⁴ रस्तोगी ने यह पाया कि अनुसूचित जातियों के जो सदस्य सरकारी तथा संवैधानिक सुविधाओं से अवगत हैं उन्होंने सबसे अधिक इन सुविधाओं का लाभ उठाया है।⁵ अध्ययनों से यह भी पता चला है कि धीरे-धीरे इन सुविधाओं के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ रही है और धीरे-धीरे इन सुविधाओं का लाभ लेने वालों की संख्या भी धीरे-धीरे बढ़ रही है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार जिन सुविधाओं तथा योजनाओं को लागू करे उसमें ईमानदारी तथा सतर्कता के बरतने और भ्रष्टाचार तथा लालफीताशाही को समाप्त करने की आवश्यकता है।

अनुसूचित जातियों में परम्परागत रूप से शिक्षा का अभाव पाया जाता रहा है क्योंकि वे समाज के अत्यन्त उपेक्षित, निर्धन एवं शोषित वर्ग रहे हैं। हिन्दू धर्मशास्त्रों में तो उनमें शिक्षा ग्रहण करने पर ही रोक लगा दिया था। उनका एकमात्र कार्य समाज के अन्य तीनों वर्गों अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों की निरन्तर बिना किसी शिकायत और बिना किसी प्रकार के प्रत्यक्ष लोभ के सेवा करना था। उन्हें न तो किसी प्रकार के विद्यालय में प्रवेश की अनुमति थी और न ही वे हिन्दू धार्मिक पुस्तकों का वरण कर सकते थे। ऐसा करना उनके लिए दण्डनीय अपराध माना गया था। दूसरी ओर निर्धनता, भूमिहीनता, शोषण तथा उत्पीड़न इत्यादि के कारण उनकी शिक्षा के प्रति रुचि ही विकसित नहीं हो पाई। वे शैक्षिक प्रक्रियाओं के प्रति नितान्त उपेक्षित रहे। स्वतंत्रता पूर्व काल में उनमें स्वभावतः साक्षरता की दर अत्यन्त निम्न थी। उदाहरण के लिए सन् 1931 में भारतवर्ष के सामान्य जनसंख्या के लिए साक्षरता दर 9.5 प्रतिशत थी जबकि अनुसूचित जातियों के लिए यह मात्र 1.9 प्रतिशत थी। इसी से अनुसूचित जातियों के बीच शिक्षा की स्थिति का अनुमान

लगाया जा सकता है। अनेक धार्मिक एवं जातीय ट्रस्टों द्वारा संचालित स्कूलों में उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रायः नहीं थी। यदि उनके गम्भीर प्रयासों के पश्चात् वे किसी प्रकार इन स्कूलों में प्रवेश पा भी जाते थे तो उच्च जातियों के छात्र और अध्यापकों की इतनी प्रताड़ना एवं कटाक्ष का सामना करना पड़ता था कि वे अत्यन्त तनावग्रस्त और भयभीत से रहते थे एवं अपनी पढ़ाई का त्याग बीच में ही कर देते थे। ऐसी परिस्थिति में यदि उनमें शिक्षा की दर लगभग नहीं के बराबर थी तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है।

अनुसूचित जातियों की अत्यधिक दयनीय स्थिति को देखते हुए अनेक राष्ट्रीय नेताओं एवं समाज सुधारकों ने उनमें शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा राव फुले, दक्षिण में रामास्वामी नायकर तथा बाद में डॉ० भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गाँधी जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने उनमें शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया। डॉ० अम्बेडकर का कथन था कि अनुसूचित जातियों का उत्पीड़न का मुख्य कारण उनमें व्याप्त निरक्षरता, अज्ञानता तथा रुढ़िवादिता है। इसी कारण उनका आर्थिक शोषण और सामाजिक उत्पीड़न किया जाता रहा है। इसीलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए शिक्षा पर विशेष बल दिया। उनके अनुसार शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अत्यधिक सशक्त माध्यम होता है जिससे स्वतंत्रता, न्याय और समानता को प्राप्त किया जा सकता है। महात्मा गाँधी ने भी अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए शिक्षा को एक सशक्त माध्यम माना है। इसलिए उन्होंने अनेक स्थानों पर उनके लिए स्कूल भी खुलवाये थे। इस प्रकार हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भी शैक्षिक रूप से इस पिछड़े वर्ग में शिक्षा प्रसार पर विशेष बल दिया। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् इस वर्ग के लोगों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुच्छेद-46 में यह व्यवस्था की गयी है कि "राज्य जनता के दुर्बल वर्गों विशेषतया, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष रूप से अभिवृद्धि करेगा, और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषणों से उनका संरक्षण करेगा।" इन संवैधानिक निर्देशों को पूरा करने के लिए अनुसूचित जातियों/जनजातियों के शैक्षिक स्तर में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये गये हैं जिनके तहत छात्रवृत्ति, शुल्क मुक्ति, पाठ्य-पुस्तकें, खेल सामग्री, वस्त्र, दोपहर का भोजन तथा छात्रावास की सुविधाएँ आदि प्रदान की गयी हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की सन् 1995-96 की रिपोर्ट के अनुसार "यद्यपि वास्तव में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की साक्षरता दर में सुधार आया है तथापि सामान्य वर्ग की जनसंख्या की साक्षरता दर की तुलना में उनकी साक्षरता में वृद्धि की दर काफी धीमी रही है। सभी संवैधानिक उपबन्धों तथा प्रयासों के बावजूद अनुसूचित जातियों का शिक्षा के क्षेत्र में समान स्तर तक पहुँचने के लिए अभी लम्बी दूरी तय करनी है।"

अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास सभी राज्यों में एक समान नहीं पाया जाता। मात्र शिक्षा के क्षेत्र में विकसित एवं कम विकसित राज्यों के बीच भी यह असन्तुलन विद्यमान नहीं है, अपितु यह असन्तुलन पुरुषों तथा महिलाओं के बीच, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के बीच तथा एक अनुसूचित जाति और दूसरी अनुसूचित जाति के बीच भी पाये जाते हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश राज्य का सम्बन्ध है यह पाया गया है कि यहाँ अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के बीच राज्यों की तुलना में साक्षरता-दर बहुत कम है। जबकि इन वर्गों के बालकों द्वारा विद्यालय त्याग की दर (ड्रॉप-आउट रेट) अपेक्षाकृत अधिक पायी गयी है। अनुसूचित जातियों के शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक समाजशास्त्रीय शोध एवं

सर्वेक्षण हुए हैं। उनमें से कुछ शोधों के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं—(क) अनुसूचित जातियों में शिक्षा का स्तर प्रायः निम्न है क्योंकि उनमें शिक्षा की उपलब्धता तथा आर्थिक क्षमता कम होती है, (ख) शैक्षिक संस्थाओं में इन जातियों की शैक्षणिक भागीदारी भी अपेक्षाकृत निम्न है क्योंकि वे प्रायः निर्धन, अशिक्षित परिवारों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं (ग) लेकिन जिन अनुसूचित जातियों के सदस्यों ने शिक्षा ग्रहण किया है वे उसका अच्छा उपयोग करके किसी न किसी प्रकार की नौकरियों को पाने में सफल हुए हैं। रंगारी ने अपने अध्ययन के आधार पर यह बताया है कि अनुसूचित जाति के छात्रों में आत्मविश्वास, आत्म चेतना एवं आत्मनुभूति की कमी होती है।¹⁰ पाण्डेय ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया है कि अनुसूचित जातियों के मामले में शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता का सकारात्मक सम्बन्ध होता है।¹⁷ गोपीनाथन ने बताया है कि उच्च शिक्षा के कारण जन्म और मृत्यु दर में कमी आती है, व्यावसायिक गतिशीलता बढ़ती है, आय का स्तर उच्च होता है, सामाजिक स्तर उच्च होता है और सामाजिक चेतना का विकास होता है।¹⁸ राधाकृष्णन एवं कुमारी के अनुसार शिक्षा द्वारा अनुसूचित जातियों के दृष्टिकोण और आकांक्षा के स्तर में काफी परिवर्तन आता है क्योंकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर किसी सम्मानजनक नौकरी पाने की आशा रखते हैं।¹⁹ इस प्रकार शिक्षा को वे अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामुदायिक विकास का एक माध्यम मानते हैं जिससे उनकी सामाजिक स्थिति, आय और सामान्य तीनों में वृद्धि होती है। उनके अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा नौकरियों में आरक्षण के प्रावधानों के कारण उन्हें काफी मदद मिलती है और वे समाज में एक सम्मानित नागरिक की तरह रहने के हकदार बन गये हैं। इस प्रकार आरक्षण उनके लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। अनन्त ने अपने अध्ययन में यह पाया है कि उच्च जातियों के छात्र उच्च शिक्षा की ओर बहुत पहले ही अग्रसर हो चुके थे जिसका उन्हें लाभ मिला और वे विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी उच्च पदों पर आसीन हो गये। उन्होंने यह पाया कि ब्राह्मण छात्रों में शूद्र छात्रों की अपेक्षा अधिक आत्मनुभूति एवं आत्मविश्वास पाया जाता है जिसका प्रभाव उनके शैक्षणिक उपलब्धियों पर पड़ता है।¹⁰

गुप्ता ने भी अपने अध्ययन में यह पाया है कि अनुसूचित जातियों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों में उच्च जातियों के छात्रों की तुलना में आत्मनुभूति, आत्मप्रत्यय तथा आत्मविश्वास की मात्रा कम पायी जाती है। इसका कारण उनके अनुसार अनुसूचित जाति के छात्रों में उचित प्रेरणा, उचित प्रोत्साहन, आत्मविश्वास एवं सकारात्मक मनोवृत्ति की कमी पायी जाती है। इन कारणों से उनमें धीरे-धीरे शिक्षा और समाज के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाता है जो उनके आगे बढ़ने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के साथ ही साथ उनके सन्तुलित एवं स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास में बाधक बनता है।¹¹

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मुंबई में सम्पन्न एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि संस्थान में लगभग 25 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के छात्र अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। इसका मुख्य कारण उक्त संस्थान में पाठ्यक्रमों का अपेक्षाकृत कठिन होना, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों में इस कारण उत्पन्न तनाव एवं व्यासकुलता इत्यादि बताया गया, न कि उन छात्रों की आर्थिक कठिनाइयों।

इस प्रकार के अनेक समाजशास्त्रीय अनुसंधानों से यह पता चलता है कि निम्नलिखित कारण छात्रों के शैक्षणिक उपलब्धियों को प्रभावित करते हैं—

1. सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति अर्थात् पिता का व्यवसाय, माता का व्यवसाय, पिता की शिक्षा का स्तर, माता की शिक्षा का

- स्तर, पूरे परिवार की आय आदि।
2. शिक्षा के प्रति परिवार की सकारात्मक मनोवृत्ति तथा प्रोत्साहन।
 3. गैर पारिवारिक स्रोतों से प्रोत्साहन जैसे पास-पड़ोस, मित्र-मण्डली, अध्यापक इत्यादि से।
 4. व्यावसायिक आकांक्षा का स्तर।
 5. मनोवैज्ञानिक कारक।
 6. माता-पिता की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति तथा माता की देख-रेख।
 7. स्कूल में शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता अथवा अनुपलब्धता एवं अध्यापकों का शैक्षिक स्तर तथा उनकी मनोवृत्ति।
 8. सम्पूर्ण पारिवारिक जीवन एवं पारिवारिक संस्कृति।
 9. सामाजिक गतिशीलता के प्रति सकारात्मक भावना एवं मूल्योन्मुखता।
 10. निम्नवर्गीय परिवारों का सांस्कृतिक परिवेश।
 11. परिवार का आकार तथा परिवार के सदस्यों की संख्या।

उपर्युक्त कारकों में से कुछ कारक अधिक प्रभावशाली और कुछ कम प्रभावशाली हो सकते हैं। यह अलग-अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसके बारे में विद्वानों में सहमति नहीं है। फिर भी पारिवारिक परिवेश, माता-पिता द्वारा प्रोत्साहन तथा परिवार की आर्थिक स्थिति का शैक्षणिक उपलब्धियों पर गहन प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के अनेक अध्ययनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निःसंदेह विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों में साक्षरता की दर बढ़ी है उनको विभिन्न प्रकार के दिये गये प्रोत्साहन, सुविधाओं एवं आरक्षण के प्रावधानों के कारण उच्च शिक्षा में ही उनकी भागीदारी में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन फिर भी सामान्य जनसंख्या की तुलना में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर उनकी भागीदारी में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन फिर भी सामान्य जनसंख्या की तुलना में शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में तो यह स्पष्ट रूप से झलकता है। विद्वानों ने ऐसी आशा व्यक्त की कि समय बीतने के साथ ही साथ उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा में भी इनका अनुपात निश्चित रूप से बढ़ेगा। जैसा कि यह सर्वविदित है कि उच्च शिक्षा एक ऐसी कुंजी होती है जो व्यक्ति को उच्च स्तरीय नौकरियों तथा व्यवसायों में प्रवेश कराने में सहायक होती है। इस प्रकार उच्च शिक्षा का अपना विशेष महत्व है। अनुसूचित जातियों के विकास में उच्च शिक्षा की भूमिका इस प्रकार स्वतः स्पष्ट हो जाती है। अब हम अनुसूचित जातियों में शिक्षा की स्थिति/साक्षात्कार के बारे में एक संक्षिप्त सारणी द्वारा दर्शाया गया है—

तालिका 1: अनुसूचित जातियों में साक्षरता दर (प्रतिशत में)

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सामान्य जनसंख्या
1961	10.27	8.54	27.86
1971	14.67	11.30	33.80
1981	21.39	16.35	41.30
1991	37.41	29.60	52.21
2001	48.36	35.57	65.38
2011	23.07	18.6	74.04

संदर्भ

1. Chitnis, Suma. A long way to Go, Report on a Survey of Scheduled Caste High and College Student in fifteen States, of India, Central for Social? Studies, Surat, Yadav,

- Satish Kumar: Harijan Awareness of Educational Scheme for Antecedents and Consequences, Academic Press, gurgaon, 1977-1983, 19-37.
2. Amhad N. (180): Educational Opportunities and Socio-Economic Changes Among the Muslim Backward Classes, Non Muslim Backward classes and Scheduled Caste of? Faridabad district during the Post Independence Period: A Comparative Study, Ph-D. Thesis, Aligarh Muslim University, Aligarh, 1980, p. 65; Premi, K.K. Educational Opportunities for the Scheduled Caste: Role of Protective Discrimination in Equalisation – Economic and Political Weekly. 1974; 9(45):1901-09.
 3. Raj Gopalan C. Educational Progress and Problem Scheduled Castes and Schedule Tribe Student in Karnataka (High School) Bangalore: Department of Sociology, Banaras Hindu University, Varanasi (ICSSSR Project); Pimpley, P.N. Educational problem of Schedule Caste Students in Punjab (College student), Department of Sociology, Punjab University, Chandigarh; Gangrade, K.D. Educational Problems of Schedule Caste and Schedule Tribes in Bihar (college student) A.N. Sinha Institute of Social Studies, Patna (ICSSSR Sponsored Project Report); Shah, Vimal P. and Patel, Tara Who Goes to College? Schedule Caste/Tribes Post-Matric Scholars in Gujrat, Rachana Prakashan, Ahmedabad; Singh, J.P. The Study of Scheduled Caste and Tribes Students of Secondary School in U.P., Department of Economics, Gandhian Institute of Studies, Varanasi (memio); George, E.I. Educational Problems of Scheduled Caste and Tribes college Students in Kerala, Department of Psychology, University, of Kerala, Trivendrum, 1974-1975-1979.
 4. Pimpley PN. Educational Problems of Scheduled Caste Students in Punjab (college students), Department of Sociology, Punjab University, Chandigarh; Goyal, S.K. The Study of Scheduled Caste Students of Colelge in Easte U.P., Department of Sociology, Banaras Hindu University, Varanasi (memio); Premi, K.K. Protective Legislation and Equality of Education Opportunity – A Study of Scheduled Caste in Punjab, Jawaharlal Nehru University, unpublished Ph.D. Thesis, New Delhi; S.K. A study of Scheduled Caste Awareness About Schemes for Their Educational Progress, unpublished Ph.D. Thesis, M.S. University, Baroda, 1974-1981.
 5. Rastogi, Shital Prasad. The Impact of constitutional Provisions upon the uplift of Harijan unpublished Ph-D- Thesis, Lucknow University, Lucknow, 1977, 69.
 6. Rangari AD. Comparatrive Study of Scheduled Castes and the non Scheduled Caste College Students of Aurangabad, unpublished Thesis, Poona University, Pune, 1981, 121.
 7. Pandey, Kalplata. A study of Cognitive Process and Motivational Pattern of Deprived Students in Relation to Their Achievement. D. Phil. Thesis, Allahabad University, Allahabad, 1981, 129.
 8. Gopinathan PR. Primary Education Population Growth Socio-Economic, Changes – A Comparative Study with Particular References to Kerala: Alliled Published, New Delhi, 1981, 73.
 9. Radhakrishnan, S. and Kumari Ranjana: Impact of

- Education on Schedule Caste Youth in India, Radiant, New Delhi, 1989, 111.
10. Anand, Santosh Singh: The Changing Concept of Caste in India, Vikas Publication, New Delhi, 1971, 157.
 11. Gupta, Depankar. Understanding the Marathwada Roits; A Repubdication of Eclectic, Marxcism Social Scientist, 1979, 7(10).